प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /......................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4/11/25	वकुलाए उप० । वकील अप्रार्थी ने प्रा.पत्र मे नवीन तथ्यों के साथ बहस हेतु अवसर चाहने पर हिदायत देते हुए अवसर दिया । पत्रावली वास्ते बहस दि. 14/11/25 को पेश हो ।
14/11/25	त्रावली पश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दोरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत वली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 4/12/25 को पेश हो
4/12/25	त्रावली पश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दोरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत वली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24/12/25 को पेश हो
24/12/25	वली पश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दोरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत वली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22/1/26 को पेश हो
22/1/26	वकुलाए उप0। बहस उभयपक्ष सुनी गई । दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि खाता सं0 नयी 579 पुरानी 536 की ख0सं0 325 रकबा 1 बीघा, ख0सं0 1000 रकबा 4 बिस्वा, ख0सं0 1001 रकबा 5 बिस्वा ,ख0स0 2669/985 रकबा 1 बिस्वा,ख0सं0 2691/1283 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सुंवा पटवार हल्का सुंवारा में स्थित है जो जमाबन्दी संवत 2071-75 वादी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 वाद वर्णित आराजी में से ख0सं0 1000 रकबा 4 बिस्वा, ख0सं0 1001 रकबा 5 बिस्वा पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 11.10.2019 को जबरन टेक्टर लेकर आये ओर प्रार्थी को धमकी लगाई की हम इस भूमि पर कब्जा करके रहेंगे। जो वाद कारण बना। यदि अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा "कि अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी ख0सं0 1000 रकबा 4 बिस्वा, ख0सं0 1001 रकबा 5 बिस्वा पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नही करे कब्जा नही करे ना अपने प्रतिनिधी से करावे," से पाबन्द नही किया गया, और दौराने वाद अप्रार्थीगण ने वाद वर्णित आराजी पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद विषयक कृषि भूमि ख0सं0 1000 रकबा 4 बिस्वा, ख0सं0 1001 रकबा 5 बिस्वा के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा नही करे , ना ही अन्यो से करवाये ।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी ख0सं0 1000 रकबा 4 बिस्वा, ख0सं0 1001 रकबा 5 बिस्वा वर्तमान में प्रार्थी के खाते दर्ज रेकार्ड है किन्तु उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी पंचसाला संवत 2012-15 संवत 2016-19 तथा संवत 2020-23 में अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो भवाना, देव्या व भेरया के नाम खाते दर्ज चली आ रही थी एवं अप्रार्थीगण ही काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो से मिलीभगत करके प्रार्थी के पूर्वजो उद्रा व गणपत ने प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी को बिना किसी आधार के अपने खाते दर्ज करवा लिया तब से यह भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज रेकार्ड है किन्तु उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में ही है।

बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है एवं अप्रार्थीगण के कथनानुसार उक्त भूमि भू-प्रबन्ध से पूर्व अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि थी एवं भूमि पर काबिज काश्त अप्रार्थीगण है उक्त स्थिति में वाद वर्णित आराजी ख0सं0 1000 रकबा 4 बिस्वा, ख0सं0 1001 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम सुंवासा वास्तव में किसके खातेदारी अधिकार की भूमि है। यह मूल वाद में साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर निर्धारित होगा। किन्तु पक्षकारान् के मध्य मूल वाद के निर्णय तक कब्जा काश्त बाबत विवाद होने की संभावना एवं मूल वाद का निर्णय साक्ष्य दस्तावेजात् के आधार पर होने में समय लगना संभावित है ऐसी स्थिति मे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखा जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि भूमि ख0सं0 1000 रकबा 4 बिस्वा, ख0सं0 1001 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम सुंवासा के रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखेगें। पक्षकार आपस में वाद वर्णित आराजी पर कब्जा काश्त में किसी प्रकार का दखल अंदाजी न तो स्वयं करेगें ना अपने प्रतिनिधी से करवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।